कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 1051 दिनांक :– 29/12/2025

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु 121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रण्मडल अंतर्गत 17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत 104.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/47332/2020) के संबंध में।**

प्रसंग :–
1. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का पत्रांक 670 दिनांक 30.11.2024
2. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का पत्रांक 779 दिनांक 12.12.2024, 189 दिनांक 29.04.2025
3. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 319 दिनांक 19.02.2025
4. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू का पत्रांक 1659 दिनांक 08.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र–1 एवं 2 द्वारा सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु 121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रण्मडल अंतर्गत 17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत 104.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/47332/2020) Online एवं उसकी Hard copy में प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव में कतिपय बिन्दुओं पर कमियाँ रहने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 72 दिनांक 21.01.2025 द्वारा पृच्छा की गयी, जिसका निराकरण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 319 दिनांक 19.02.2025 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का पत्रांक 189 दिनांक 29.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/चतरा द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

1. यह परियोजना कुल दो वन प्रमण्डल क्रमशः लातेहार वन प्रमण्डल एवं चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. इस परियोजना में लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत 104.28 हे0 वनभूमि अन्तर्ग्रस्त है, जिसमें से अधिसूचित वनभूमि 71.17 हे0 एवं गैर मजरुआ जंगल–झाड़ी के रूप में दर्ज वनभूमि का रकवा 33.11 हे0 है।
3. परियोजना में चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत कुल 17.01 हे0 अधिसूचित वनभूमि है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का वैधानिक स्थिति रकवावार/प्रमण्डलवार निम्नवत् है :–

प्रमण्डल का नाम	अधिसूचित एवं सीमांकित वनभूमि (हे0 में)	गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि (हे0 में)	वनभूमि का कुल रकवा (हे0 में)	गैर वनभूमि (हे0 में)	वनस्पति घनत्व
लातेहार वन प्रमण्डल	71.17	33.11	104.28	130.22	0.4
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	17.01	0.00	17.01	0.00	0.6
कुल	**88.18**	**33.11**	**121.29**	**130.22**	

5. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र (Form-A, Part-I) में आवेदन दर्ज है।

Sanjiv 29/12/2025

6. प्रस्ताव के साथ Part-II में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल एवं चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

7. Part-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर एवं चतरा का मंतव्य दर्ज है।

8. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।

9. परियोजना में प्रभावित भूमि से संबंधित Authentic Land Schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

10. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का Geo reference map Hard एवं Soft Copy में संलग्न है।

11. प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है।

12. प्रस्ताव के साथ परियोजना का Detailed Project Report संलग्न है।

13. पार्ट–II के कंडिका–11(i) में FC Act Violation लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत कुल 41.30 हे0 (अधिसूचित वनभूमि में 31.68 हे0 एवं गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि में 9.62 हे0) में Violation प्रतिवेदित है।

चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत अधिसूचित वनभूमि के 0.25 हे0 में Violation प्रतिवेदित है।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के साथ Alternative route का Comparative Statement समर्पित किया गया है।

15. विषयगत परियोजना Linear Category का है।

16. विषयगत परियोजना में लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 16,211 है तथा चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 20,242 प्रतिवेदित है। वृक्षों की प्रजातिवार गणना सूची संलग्न है।

17. प्रस्ताव के साथ राजस्व अभिलेख में गैर मजरुआ जंगल–झाड़ी भूमि का आयुक्त, मेदिनीनगर के पत्रांक 533 दिनांक 28.07.2021, 57 दिनांक 10.01.2023, 713 दिनांक 01.11.2023 शुद्धि पत्रांक 681 दिनांक 18.10.2023 एवं 755 दिनांक 10.11.2023 द्वारा लातेहार जिला अन्तर्गत कुल 35.24 हे0 का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत है, जिसमें से परियोजना हेतु 33.11 हे0 के लिये प्रस्तावित है।

18. विषयगत प्रस्ताव में लातेहार वन प्रमण्डल एवं चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत अधिसूचित वनभूमि एवं जंगल–झाड़ी वनभूमि का वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण–पत्र अप्राप्त है, जिसे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित करने की वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA आदि की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।

20. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दो वन प्रमण्डल यथा लातेहार वन प्रमण्डल एवं चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल में दो गुणे 242.58 हे0 के विरुद्ध 243.85 हे0 अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है, जो निम्नवत् है :–

A. लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजित होने वाले वनभूमि के विरूद्ध चयनित क्षतिपूरक वनभूमि का विवरण :–

Name of Division	Name of Village/ Mouza	Thana No.	Plot No.	Net Area (in ha.)
Latehar	Balu/ Balumath	100	2025P, 2026P, 2027P, 2091P, 2093P, 2374P, 2375P, 2377P,	67.47
Latehar	Sukri/ Balumath	135	1P, 2P, 13P, 14P, 84P, 85P, 86P, 87P, 232P, 233P, 235P, 236P, 237P, 238P, 244P, 245P,	74.21
Latehar	Lalgari/ Balumath	139	1, 11, 14, 15, 263, 264, 266, 170, 278, 279, 280, 282, 338P, 397P,	66.88
Total :-				**208.56**

29/2/2026

B. चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजित होने वाले वनभूमि के विरूद्ध चयनित क्षतिपूरक वनभूमि का विवरण :–				
Name of Division	**Name of Village/ Mouza**	**Thana No.**	**Plot No.**	**Net Area (in ha.)**
Chatra South	Bargaon/ Tandwa	208	947P	35.29
Total :-				**35.29**

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS/KML File/ संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र एवं दस वर्षीय प्राक्कलन संलग्न है।

21. प्रस्ताव में CWLW, झारखण्ड का मंतव्य अपेक्षित है। उनसे अनुरोध किया जा रहा है, जिसे प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।

22. विषयगत प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन संरक्षक द्वारा परियोजना में निम्नवत् योजना बनाये जाने की अनुशंसा की गई है :–
    i. Comprehensive soil & moisture conservation plan.
    ii. Site Specific wildlife management plan.
    iii. Species-specific conservation plan.
    iv. Soil Moisture Conservation Plan

23. Part-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।

विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में Violation के संबंध में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के पत्रांक 1659 दिनांक 08.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त पत्र में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियम 2023 के निर्गत अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 2025 के धारा–11 के आलोक में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय में शिकायत दर्ज करने हेतु अनुमति देने के संबंध में प्रस्ताव समर्पित है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कुल 121.29 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु सशर्त्त अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी उनके मंतव्य से सहमत होते हुए विषयगत परियोजना हेतु कुल 121.29 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I की स्वीकृति के लिए लोकहित में मानक शर्त्तों पर अनुशंसा की जाती है।

अतः दोनो वन प्रमण्डलों से संबंधित प्रस्ताव की 3–3 मूल प्रतियाँ आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

आपका विश्वासी,

Sanjiv 29/12/2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

29-12

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Magadh Railway Siding 121.19 ha

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 121.29 ha Forest land.

Date :- 29.12.2025

Place :- Ranchi

Signature

Sanjeev 29/12/2025

(SANJEEV KUMAR)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Magadh Railway Siding 121.19 ha

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 121.29 ha Forest land.

Date :- 29.12.2025

Place :- Ranchi

Signature

Sanjeev 29/12/2025

(SANJEEV KUMAR)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

218

कार्यालय –क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,पलामू

वन भवन, कचहरी रोड, मेदिनीनगर

Tel.-06562-295542/295543/8987790231 Email-rccf-palamu@gov.in

Balso 08/12/25

पत्रांक– 1659 दिनांक 8-12-2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची ।

विषयः– मगध रेलवे साईडिंग अन्तर्गत पड़नेवाले वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव मे Violation के संबंध में ।

प्रसंगः– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का पत्रांक 648 दिनांक 21.11.2025.

2851 11/12/2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक 648 दिनांक 21.11.2025 द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्र संलग्न कर प्रतिवेदित किया गया है कि सेन्ट्रल कोल फिल्ड लिमिटेड द्वारा मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु लातेहार प्रमण्डल अन्तर्गत कुल 104.28 हे0 (अधिसूचित वन भूमि 71.17 हे0 एवं जंगल–झाड़ी भूमि 33.11 हे0) वन भूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया है ।

साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बगैर पूर्व में अधिसूचित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य यथा सड़क निर्माण एवं Railway siding निर्माण कार्य किये जाने के कारण कुल 10 व्यक्तियों के विरूद्ध वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के सुसंगत धारा के तहत वन वाद संख्या–876/2023, 879/2023, 880/2023, 877/2023, 886/2023 एवं 455/2019 दायर किया गया है ।

प्रयोक्ता संस्थान द्वारा जंगल–झाड़ी भूमि (Deemed Forest) पर भी Violation किया गया है । जंगल–झाड़ी भूमि लातेहार वन प्रमण्डल के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं होने के कारण वैधानिक कार्रवाई प्रमण्डल द्वारा नहीं की जा सकी है । Violation के विरूद्ध न्यायालय में शिकायत दर्ज करने हेतु उपायुक्त, लातेहार से प्रस्ताव समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया है । परन्तु उपायुक्त, लातेहार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, इसकी सूचना अभीतक प्रमण्डल को अप्राप्त है ।

विदित कि वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 2023 में संशोधन हेतु अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 2025 द्वारा धारा–11 वर्णित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

" the said rules, for Rules 15, the following rule shall be substituted, namely:- 15. Proceeding against persons guilty of offences under Adhiniyam- (2) The Central Government or the Regional Offices under the Central Government , after receiving the information with respect of offence committed or violations made, shall, after examination, communicate the same to the State Government or Union territory Administration and the authorities concerned under whose jurisdiction the offence under the Adhiniyam has been committed or any provision of the said

Adhiniyam has been violated, for filing the complaint against the offenders before the court having jurisdiction within a period of forty five days from the receipt of such communication".

उक्त अधिसूचना के आलोक में दोषियों के विरूद्ध वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत् न्यायालय में शिकायत वाद दर्ज करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है । अधोहस्ताक्षरी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के द्वारा दिये गये प्रस्ताव से सहमत है ।

अतः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर द्वारा प्राप्त पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 2023 में संशोधन हेतु निर्गत अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त 2025 के धारा–11 के आलोक में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय में शिकायत दर्ज करने हेतु अनुमति देने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

अनु0– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पलामू, मेदिनीनगर।

कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

216

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: cfmedininagar@gmail.com

दूरभाष / Phone: 06562.224953,8987790232

पत्रांक– 648 मेदिनीनगर, दिनांकः– 21.11.2025

2345 प्राप्तांक 26/11/25 दिनांक

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पलामू , मेदिनीनगर।

FC Act

विषयः– मगध रेलवे साईडिग अन्तर्गत पडनेवाले वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में **Violation** के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 2845 दिनांक 18.11.2025 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न द्वारा लातेहार वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि सेन्ट्रल कोल फिल्ड लिमिटेड द्वारा मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु उनके प्रमण्डल अन्तर्गत कुल 104.28 हे0 (अधिसूचित वन भूमि 71.17 हे0 एवं जंगल झाडी भूमि 33.11 हे0) वन भूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये वगैर पूर्व में अधिसूचित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य यथा सडक निर्माण एवं Railway siding निर्माण कार्य किये जाने के कारण कुल 10 व्यक्तियों के विरूद्ध वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के सुसंगत धारा के तहत वन वाद संख्या–878 / 2023, 879 / 2023, 880 / 2023, 877 / 2023, 886 / 2023 एवं 455 / 2019 दायर किया गया है।

प्रयोक्ता संस्थान द्वारा जंगल झाडी भूमि (Deemed Forests) पर भी Violation किया गया है। जंगल–झाडी भूमि प्रमण्डल के प्रशासनिक नियंत्रण में नही होने के कारण वैधानिक कार्रवाई प्रमण्डल द्वारा नहीं की जा सकी है। प्रयोक्ता संस्थान द्वारा किये गये जंगल–झाडी भूमि पर Violation के विरूद्ध न्यायालय में शिकायत दर्ज करने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त, लातेहार से प्रस्ताव समर्पित करने का अनुरोध किया गया है, लेकिन उपायुक्त, लातेहार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।

215

विदित हो कि वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियम 2023 में संशोधन हेतु अधिूसचना दिनांक 31 अगस्त 2025 द्वारा धारा–11 वर्णित किया गया है, जो निम्नवत है:–

" the said rules, for Rules 15, the following rule shall be substituted, namely: 15. Proceeding against persons guilty of offences under Adhiniyam.- (2) The Central Govemment of the Retional Offices under the Central Government, after receiving the information with respect of offence committed or violations made, shall, after examination, communicate the same to the State Government or Union territory Administration and the authorities concerned under whose jurisdiction the offence under the Adhiniyam has been committed or any provision of the said Adhiniyam has been violated, for filing the complaint against the offenders before the court having jurisdiction within a period of forty five days from the receipt of such communication".

वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा उक्त अधिसूचना के आलोक में दोषियों के विरूद्ध वन (संरक्षण एवं सवर्द्धन) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत न्यायालय में शिकायत वाद दर्ज करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अधोहस्ताक्षरी वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रस्ताव से सहमत हैं।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियम 2023 में संशोधन हेतु निर्गत अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त 2025 के धारा–11 के आलोक में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय में शिकायत दर्ज करने हेतु अनुमति के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0यथोक्त।

आपका विश्वासी

21/11/25

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

21/11/25

-: कार्यालय :-
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।
Email – dfo-latehar@gov.in
Mobile No. –8987790240
Pin Code - 829206

पत्रांक 2845 / दिनांक 18.11.2025 /

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
मेदिनीनगर।

विषय : मगध रेलवे साईडिंग अन्तर्गत पड़नेवाले वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में Violation के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सेन्ट्रल कोल फिल्ड लिमिटेड द्वारा मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु इस प्रमण्डल अंतर्गत कुल 104.28 हे0 (अधिसूचित वन भूमि 71.17 हे0 एवं जंगल–झाड़ी भूमि 33.11 हे0) वन भूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये वगैर पूर्व में अधिसूचित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य यथा सड़क निर्माण एवं Railway Saiding निर्माण कार्य किया गया है फलस्वरूप अभियुक्तों/दोषी व्यक्तियों 1. नृपेन्द्रनाथ (जेनेरल मैनेजर) 2. सदाला सत्यनारायण (प्रोजेक्ट ऑफिसर) 3. मृगांक शेखर (डिप्टी मैनेजर माईनिंग) 4. पंकज सरकार (असिस्टेंट मैनेजर E.N.V) 5. मरजीत कुमार MT (ENV) मगध कोल ब्लॉक, रेलवे साईडिंग, बालूमाथ। 6. मनीष सिन्हा (Deputy Manager) 7. अवनीश कुमार (परियोजना पदाधिकारी) 8. जयनारायण लकड़ा (साईडिंग प्रभारी) 9. प्रदीप उपाध्याय (ट्रांस्पोर्टर) 10. मुजम्मील हुसैन (ट्रांस्पोर्टर) CCL मगध परियोजना, टंडवा, चतरा के विरूद्ध वन भारतीय वन अधिनियम 1927 के सुसंगत धारा के तहत वन वाद संख्या 878/2023, 879/2023, 880/2023, 877/2023, 886/2023 एवं 455/2019 दायर किया गया है, प्रयोक्ता संस्थान द्वारा जंगल–झाड़ी भूमि (Deemed Forests) पर भी Violation किया गया है।

जंगल–झाड़ी भूमि हमारे प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं होने के कारण वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इसके लिए इस कार्यालय के पत्रांक 1041 दिनांक 07.10.2024 पत्रांक 307 दिनांक 11.02.2025, पत्रांक 1469 दिनांक 24.06.2025 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है। प्रयोक्ता संस्थान द्वारा किये गये जंगल–झाड़ी भूमि पर Violation के विरूद्ध उपायुक्त, लातेहार से किसी भी कार्रवाई के संबंध में इस कार्यालय में सूचना अप्राप्त है। प्राप्त होते ही अग्रतर कार्रवाई भेज दी जायेगी।

विदित हो कि वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियम 2023 में संशोधन हेतु अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त 2025 द्वारा धारा–11 वर्णित किया गया है जो निम्नवत है :–

"the said rules, for Rules 15, the following rule shall be substituted, namely :- 15. Proceeding against persons guilty of offences under Adhiniyam.- (2) The Central Government or the Regional Offices under the Central Government,after receiving the information with respect to offence committed or violations made, shall, after examination, communicate the same to the State Government or Union territory Administration and the authorities concerned under whose jurisdiction the offence under the Adhiniyam has been committed or any provision of the said Adhiniyam ...

(213)

-: कार्यालय :-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।

Email – dfo-latehar@gov.in

Mobile No. -8987790240

Pin Code - 829206

अतः उपरोक्त नियम में आलोक में सक्षम स्तर द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 के तहत् उपरोक्त दोषी व्यक्तियों 1. नृपेन्द्रनाथ (जेनेरल मैनेजर) 2. सदाला सत्यनारायण (प्रोजेक्ट ऑफिसर) 3. मृगांक शेखर (डिप्टी मैनेजर माईनिंग) 4. पंकज सरकार (असिस्टेंट मैनेजर E.N.V) 5. मरजीत कुमार MT (ENV) मगध कोल ब्लॉक, रेलवे साईडिंग, बालूमाथ। 6. मनीष सिन्हा (Deputy Manager) 7. अवनीश कुमार (परियोजना पदाधिकारी) 8. जयनारायण लकड़ा (साईडिंग प्रभारी) 9. प्रदीप उपाध्याय (ट्रांस्पोर्टर) 10. मुजम्मील हुसैन (ट्रांस्पोर्टर) CCL मगध परियोजना, टंडवा, चतरा के विरूद्ध न्यायालय में शिकायत दर्ज करने हेतु अनुमति के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करना चाहेंगें। जंगल झाड़ी भूमि में किये गये Violation के विरूद्ध उपायुक्त, लातेहार से वन (वन संरक्षण एव संवर्द्धन) अधिनियम 1980 के नियम 2023 के आधार पर प्रस्ताव समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही अग्रतर कार्रवाई हेतु भेज दी जायेगी।

विश्वासभाजन,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।

211

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 514 दिनांक :– 23/6/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

विषय :– **मेसर्स सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग हेतु 121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रण्मडल अंतर्गत 17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत 104.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/47332/2020) के संबंध में।**

प्रसंग :– 1. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 319 दिनांक 19.02.2025
2. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का पत्रांक 189 दिनांक 29.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग हेतु 121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रण्मडल अंतर्गत 17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत 104.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/47332/2020) में इस कार्यालय के पत्रांक 72 दिनांक 21.01.2025 द्वारा तीन बिन्दुओं पर की गयी पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसके पृच्छा संख्या–2 का निराकण अपूर्ण है।

उक्त पृच्छा संख्या–2 में प्रश्नगत परियोजना में गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि में प्रतिवेदित Violation के संबंध में उपायुक्त, लातेहार द्वारा अपेक्षित/कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।

अनुरोध है कि संदर्भित मामलें में वांछित अद्यतन प्रतिवेदन शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– 514 दिनांक :– 23/6/2025

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/हजारीबाग/वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार/चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/6/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

23-6

204

कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: cfmedininagar@gmail.com

दूरभाष / Phone: 06562.224953,8987790232

1094
06/5/25

पत्रांक– 189 मेदिनीनगर, दिनांकः– 29.04.2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची ।

विषयः– मेसर्स सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग हेतु 121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत 17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत 104.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/47332/2020) के संबंध में।

प्रसंगः– आपका ज्ञापांक 72 दिनांक 21.01.2025 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 645 दिनांक 22.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा लातेहार वन प्रमण्डल के प्रशासनिक क्षेत्राधीन मगध रेलवे साइडिंग हेतु लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत (अधिसूचित वन भूमि 71.17 हे0 एंव जंगल झाड़ी 33.11 हे0) कुल 104.28 हे0 वनभूमि अपयोजन का समर्पित प्रस्ताव में भवदीय का ज्ञापांक 72 दिनांक 21.01.2025 द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का बिन्दुवार निराकरण करते हुए निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो निम्नवत हैः–

क्रम संख्या	पृच्छित बिन्दु	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का अभियुक्ति
1.	परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर वनभूमि का KML में निरंतरता नही (Continuity) नहीं है। साथ ही परियोजना मे गैर वनभूमि KML का अपलोड नही है। वनभूमि/गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी एवं गैर वनभूमि का KML अलग–अलग रंगों में द र्शाया जाना आव यक है। अतएव वनभूमि सम्पूर्ण KML अपलोड किया जाना अपेक्षित है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर वनभूमि का KML निरंतरता में अपलोड कर दिया गया है। साथ ही वन भूमि को हरे रंग, गैर मजरूआ जंगल झाड़ी को मैजेन्टा (Magenta) रंग में एवं गैर वन भूमि को बगैर रंग का KML Upload कर दिया गया है।

208

2.	परियोजना में वनभूमि/गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि में प्रतिवेदित Violation का Details तथा वनवाद की वर्तमान अद्यतन स्थिति अप्राप्त है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सक्षम स्तर से बिना पूर्वानुमति के विषयांकित परियोजना में शामिल मौजा-आरा, चमातु, चेड़रा, चेटर, सेरेगडा में वन भूमि में गैर वानिकी कार्य जंगलों को उजाड़कर मिट्टी कटाई भराई का कार्य किया गया तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण वन क्षेत्र पदाधिकारी, बालूमाथ द्वारा CCL & RITES के पदाधिकारियों के विरूद्ध वन वाद संख्या 455/2019, 877/2023, 878/2023, 879/2023, 880/2023 तथा 886/2023 दायर किया गया एवं सभी वादों में अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित किया जा चूका है। उक्त वन वाद में मौजावार शामिल वन भूमि की विवरणी निम्नवत है :- आरा- 32.50 एकड़ चमातु- 16.50 एकड़ चेड़रा- 1.3 एकड़ चेटर- 12.5 एकड़ सेरेगडा- 15.5 एकड़ उपरोक्त के अतिरिक्त गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि कुल 9.62 हे0 पर गैर वानिकी कार्य किया गया है जिसके विरूद्ध उचित कार्रवाई हेतु उपायुक्त, लातेहार को इस कार्यालय का पत्रांक 1041 दिनांक 24.07.2024 एवं पत्रांक 307 दिनांक 11.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया है। उपायुक्त, लातेहार के द्वारा की गयी कार्रवाई से संबंधित सूचना इस कार्यालय को अप्राप्त है। पूर्व में प्रतिवेदित वन भूमि/जंगल झाड़ी भूमि पर अतिक्रमण के अलावा वर्तमान में वन भूमि/जंगल झाड़ी भूमि पर अतिरिक्त अतिक्रमण के संबंध में वन क्षेत्र पदाधिकारी, बालूमाथ से जांच करवायी

		गयी। वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों एवं CCL मगध के पदाधिकारियों के साथ परियोजना में सन्निहित वन भूमि का निरीक्षण के उपरांत प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता संस्थान द्वारा पूर्व में किये गये Violation के अलावा वर्तमान में किसी प्रकार का Violation नही किया गया है। जांच प्रतिवेदन अनुलग्नक–1 पर संलग्न है।
3.	परियोजना में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्ताव के पार्ट–II में लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत मौजा–बालु का अपलोड KML file उचित Format में नहीं रहने के कारण खुल नहीं पा रहा है। इसे Proper रूप में KML file को अपलोड किया जाना अपेक्षित है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि परियोजना में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्ताव के पार्ट-II में मौजा–बालु का KML file उचित रूप में अपलोड कर दिया गया है।

इस कार्यालय का पत्रांक 146 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा विषयक मामले की संचिका निराकरण प्रतिवेदन तथा अग्रसारण पत्र प्रारूप वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भेजी गयी। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर ने अपने पत्रांक 569 दिनांक 25.04.2025 द्वारा अनुमोदनोंपरांत संचिका वापस किया गया।

अतः विषयक परियोजना प्रस्ताव के संदर्भ में पृच्छित बिन्दुओं का बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन की 5 (पाँच) प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय को समर्पित की जा रही है।

अनु0ः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

29/4/25

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

29.4.25

206

—: कार्यालय :—

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।

Email –dfo-latehar@gov.in
Mobile No. – 8987790240
Pin Code - 829206

पत्रांक 645 / लातेहार, दिनांक 22.03.25 /

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

विषय :— मेसर्स सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग हेतु 121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत 17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत 104.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/47332/2020) के संबंध में।

प्रसंग :— प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 72 दिनांक 21.01.2025 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का ज्ञापांक 166 दिनांक 27.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि उक्त परियोजना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 72 दिनांक 21.01.2025 द्वारा तीन बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है। किये गये पृच्छा का बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत है:—

Sl.	EDS	DFO Remarks
1.	परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर वनभूमि का KML में निरंतरता (Continuity) नहीं है। साथ ही परियोजना में गैर वनभूमि का KML अपलोड नहीं है। वनभूमि / गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी एवं गैर वनभूमि का KML अलग–अलग रंगों में दर्शाया जाना आवश्यक है। अतएव वनभूमि / गैर वनभूमि सम्पूर्ण KML अपलोड किया जाना अपेक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर वनभूमि का KML निरंतरता में अपलोड कर दिया गया है। साथ ही वन भूमि को हरे रंग, गैर मजरूआ जंगल झाड़ी को मैजेन्टा (Magenta) रंग में एवं गैर वन भूमि को बगैर रंग का KML Upload कर दिया गया है।
2.	परियोजना में वनभूमि / गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि में प्रतिवेदित Violation का Details तथा वनवाद की वर्तमान अद्यतन स्थिति अप्राप्त है।	अनुलग्नक–1 पर संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सक्षम स्तर से बिना पूर्वानुमति के विषयांकित परियोजना में शामिल मौजा–आरा, चमातु, चेड़रा, चेटर, सेरेगडा में वन भूमि में गैर वानिकी कार्य जंगलों को उजाड़कर मिट्टी कटाई

2CAct.
24.3.25
27/3/25
383
27.3.25

		भराई का कार्य किया गया तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण वन क्षेत्र पदाधिकारी, बालूमाथ द्वारा CCL & RITES के पदाधिकारियों के विरूद्ध वन वाद संख्या 455/2019, 877/2023, 878/2023, 879/2023, 880/2023 तथा 886/2023 दायर किया गया एवं सभी वादों में अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित किया जा चूका है। उक्त वन वाद में मौजावार शामिल वन भूमि की विवरणी निम्नवत है :– आरा– 32.50 एकड़ चमातु– 16.50 एकड़ चेड़रा– 1.3 एकड़ चेटर– 12.5 एकड़ सेरेगडा– 15.5 एकड़ उपरोक्त के अतिरिक्त गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि कुल 9.62 हे0 पर गैर वानिकी कार्य किया गया है जिसके विरूद्ध उचित कार्रवाई हेतु उपायुक्त, लातेहार को इस कार्यालय का पत्रांक 1041 दिनांक 24.07.2024 एवं पत्रांक 307 दिनांक 11.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया है। उपायुक्त, लातेहार के द्वारा की गयी कार्रवाई से संबंधित सूचना इस कार्यालय को अप्राप्त है। पूर्व में प्रतिवेदित वन भूमि/जंगल झाड़ी भूमि पर अतिक्रमण के अलावा वर्तमान में वन भूमि/जंगल झाड़ी भूमि पर अतिरिक्त अतिक्रमण के संबंध में वन क्षेत्र पदाधिकारी, बालूमाथ से जांच करवायी गयी । वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों एवं CCL मगध के पदाधिकारियों के साथ परियोजना में सन्निहित वन भूमि का निरीक्षण के उपरांत प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता संस्थान द्वारा पूर्व में किये गये Violation के अलावा वर्तमान में किसी प्रकार का Violation नही किया गया है। जांच प्रतिवेदन अनुलग्नक–1 पर संलग्न है।
3.	परियोजना में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्ताव के पार्ट-II में लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत मौजा–बालु का	परियोजना में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्ताव के पार्ट-II में मौजा–बालु का KML file उचित रूप में अपलोड कर दिया गया है।

	नही रहने के कारण खुल नही पा रहा है। इसे Proper रूप में KML File को अपलोड किया जाना अपेक्षित है।	

प्रयोक्ता संस्थान द्वारा किये गये पृच्छा का बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन पत्रांक 83 दिनांक 10.02.2025 द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है जिसे सात प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

22/3/25

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।

22.3.25

Annexure-1

208

मगध रेलवे साईडिंग का स्थलीय जांच प्रतिवेदन :-

मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु अधिसूचित वन भूमि 71.17 हे0 जंगल-झाड़ी भूमि 33.11 हे0 कुल 104.28 हे0 वन भूमि का स्थलीय जांच स्वयं एवं अपने अधिनस्थ वनकर्मी तथा सेन्ट्रल कोल फिल्ड लिमिटेड (CCL) के प्रतिनिधि के साथ दिनांक 07.03.2025 को किया गया।

निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रयोक्ता संस्थान द्वारा पूर्व में किये गये Violation के अलावा वर्तमान में किसी भी प्रकार का Violation नही किया गया है। कार्यालय अभिलेख के आधार पर प्रयोक्ता संस्थान द्वारा पूर्व में वर्ष 2019, 2020 एवं 2023 में कुल 41.30 हे0 (31.68 हे0 वन भूमि एवं 9.62 हे0 जंगल-झाड़ी भूमि) पर Violation किया गया है। वन भूमि पर किये गये Violation में संबंधित लोगों के विरूद्ध वन वाद दायर किया गया है।

वनरक्षी

प्रभारी वनपाल

Sadala Satyanarayan, Project Officer, Magadh OCP

Manish Sinha, Nodal Officer (E&E), M-S Area
12/3/25

Mrigank Shekhar, Environment Officer, Magadh OCP
12/03/25

वन क्षेत्र पदाधिकारी, बालूमाथ वन प्रक्षेत्र।

Prawesh Agrawal
I.F.S.
Divisional Forest Officer
Latehar Forest Division

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन भवन, हजारीबाग,
Ph. No. 06546-223962, Email- rccf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक : 319   दिनांक : 19.02.2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

विषय :– **मे0 सी0सी0एल0 का मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु कुल–121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल–17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमंडल–101.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– भवदीय ज्ञापांक 72 दिनांक 21.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक परियोजना मे0 सी0सी0एल0 का मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु कुल–121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल–17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमंडल–101.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में तीन बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांगी गई है।

उक्त याचित प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा के पत्रांक 114 दिनांक 15.02.2025 तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के पत्रांक 271 दिनांक 05.02.2025 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न अग्रतर आवश्यक कार्रवाई हेतु पांच प्रतियों में भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

आपकी विश्वासी,

19/02/25

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

460
24/2/2025

कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा
वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401
फोन नं0 – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – 114 दिनांक – 15/02/25

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

श्री मनोज
17/2/25

विषय– मे0 सी0सी0एल0 का मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु कुल–121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल– 17.01 हे0 एवं लातेहार प्रमंडल– 104.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

17/02/25

प्रसंग– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 72 दिनाक 21.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव पर तीन बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी, जिसके आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 271 दिनांक 05.02.2025 द्वारा निराकरण कर निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया है जो निम्नवत् है :–

क्रम स0	त्रुटियाँ	निराकरण
01	परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर वनभूमि का KML में निरंतरता (Continuity) नहीं है। साथ ही परियोजना में गैर वनभूमि का KML अपलोड नहीं है। वनभूमि/गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी एवं गैर वनभूमि का KML अलग–अलग रंगों में दर्शाया जाना आवश्यक है। अतएव वनभूमि/गैर वनभूमि सम्पूर्ण KML अपलोड किया जाना अपेक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत अपयोजित होने वाले वनभूमि 17.01 हे0 (अधिसूचित वनभूमि) का KML निरंतरता (Continuity) में अपलोड कर दिया गया है।
02	परियोजना में वनभूमि/गैर मंजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि में प्रतिवेदित Violation का Details तथा वनवाद की वर्तमान अद्यतन स्थिति अप्राप्त है।	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा किये गये Violation के विरूद्ध वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिना पुर्वानुमति के अपयोजित क्षेत्र कुंडी वन सीमा के अन्दर रेल लाईन बिछाने के लिए मिट्टी भराव का कार्य किया गया जो वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। उक्त उल्लंघन के विरूद्ध वन क्षेत्र पदाधिकारी, टण्डवा प्रक्षेत्र द्वारा सी0सी0एल0 एवं RITES के दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध

			अपराध प्रतिवेदन संख्या–P-16 एवं C.C No. 414/2019 द्वारा IFA, 1927 के तहत वन मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्राप्त अपराध प्रतिवेदन को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा चुकी है। उक्त मामला न्यायालय के विचाराधीन है।
03	परियोजना में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्ताव के पार्ट– में लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत मौजा–बालु का अपलोड KML File उचित Format में नहीं रहने के कारण खुल नहीं पा रहा है। इसे proper रूप में KML File को अपलोड किया जाना अपेक्षित है।		चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल से संबंधित नहीं है।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा समर्पित निराकरण प्रतिवेदन की छः मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
हजारीबाग
प्राप्तांक 279
दिनांक 18.02.25

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।
वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)
E-mail:-dfo-chatrasouth@gov.in Phone - 8987790213

पत्रांक- 271 दिनांक- 05.02.2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

विषय :— मेसर्स सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग हेतु 121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत 104.28 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— आपका पत्रांक 68 दिनांक 27.01.2025 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 72 दिनांक 21.01.2025

महोदया,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि प्रासंगीक पत्र के माध्यम से विषयगत प्रस्ताव पर तीन बिन्दूओं पर पृच्छा की गई है, जिसका निराकरण कर बिन्दुवार वांछित निराकरण प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है:—

क्र0 सं0	त्रुटियाँ	निराकरण
1	परियोजना में प्रस्तावित वन भूमि एवं गैर वन भूमि का KML में निरंतरता (Continuity) नहीं है। साथ ही परियोजना में गैर वन भूमि का KML अपलोड नहीं है। वन भूमि/गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी एवं गैर वन भूमि का KML अलग-अलग रंगों में दर्शाया जाना आवश्यक है। अतएव वन भूमि/गैर वन भूमि सम्पूर्ण KML अपलोड किया जाना अपेक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि एवं गैर वन भूमि का KML निरंतरता (Continuity) में अपलोड कर दिया गया है एवं साथ ही वन भूमि/गैर मजरूआ जंगल- झाड़ी एवं गैर वन भूमि का KML अलग-अलग रंगों में दर्शाते हुए अपलोड कर दिया गया है।
2	परियोजना में वन भूमि/गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि में प्रतिवेदित Violation का Details तथा वनवाद की वर्त्तमान अद्यतन स्थिति अप्राप्त है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना पूर्वानुमति के अपयोजित क्षेत्र कुंडी वन सीमा के अन्दर रेल लाईन बिछाने के लिए मिट्टी भराव का कार्य किया गया एवं वन संरक्षण अनिधनियम के उल्लंघन किया गया है। उक्त उल्लंघन के विरूद्ध वन क्षेत्र पदाधिकारी, टण्डवा प्रक्षेत्र द्वारा सी0सी0एल0 एवं RITES के दोषी लोगों के विरूद्ध अपराध प्रतिवेदन संख्या- P-16 एवं C.C. No. 414/2019 द्वारा IFA,1927 के तहत वन मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही इस कार्यालय द्वारा प्राप्त अपराध प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी गई है।
3	परियोजना में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्ताव के पार्ट-II में लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत मौजा-बालु का अपलोड KML File उचित Format में नहीं रहने के कारण खुल नहीं पा रहा है। इसे Proper रूप में KML File को अपलोड किया जाना अपेक्षित है।	इस प्रमंडल से संबंधित नहीं है।

अनु0- यथोपरि।
संशोधित Form A, Part-1 7 प्रति में संलग्न।

अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।
05/02/2025

(177)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 72 दिनांक :– 21/1/2025

सेवा में,

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल,
मेदिनीनगर एंव चतरा।

विषय :– **मेसर्स सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग हेतु 121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रण्मडल अंतर्गत 17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत 104.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/47332/2020) के संबंध में।**

प्रसंग :– 1. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का पत्रांक 670 दिनांक 30.11.2024
2. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का पत्रांक 779 दिनांक 12.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग हेतु 121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रण्मडल अंतर्गत 17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत 104.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/47332/2020) का ऑनलाईन एवं उसकी हार्ड कॉपी पाँच प्रतियों में प्राप्त हुआ है।

उक्त सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्ताव में निम्नवत् बिन्दुओं पर प्रतिवेदन अपेक्षित है :–

1. परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर वनभूमि का KML में निरंतरता (Continuity) नहीं है। साथ ही परियोजना में गैर वनभूमि का KML अपलोड नहीं है। वनभूमि/गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी एवं गैर वनभूमि का KML अलग–अलग रंगों में दर्शाया जाना आवश्यक है। अतएव वनभूमि/गैर वनभूमि सम्पूर्ण KML अपलोड किया जाना अपेक्षित है।
2. परियोजना में वनभूमि/गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि में प्रतिवेदित Violation का Details तथा वनवाद की वर्तमान अद्यतन स्थिति अप्राप्त है।
3. परियोजना में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्ताव के पार्ट–II में लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत मौजा–बालु का अपलोडेड KML file उचित Format में नहीं रहने के कारण खुल नहीं पा रहा है। इसे Proper रूप में KML File को अपलोड किया जाना अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित निराकरण प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– 72 **दिनांक :–** 21/1/2025

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/हजारीबाग/वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार/चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा एवं मुख्य महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), सी0सी0एल0, दरभंगा हाऊस, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/01/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।
Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.
ईमेल / Email: cfmedininagar@gmail.com
दूरभाष / Phone: 06562.224953,8987790232

पत्रांक– 779 मेदिनीनगर, दिनांकः– 12.12.2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची ।

विषयः– मगध रेलवे साईडिंग अंतर्गत पड़ने वाले वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 1232 दिनांक 16.08.2024 एवं पत्रांक 1867 दिनांक 29.11.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि लातेहार वन प्रमण्डल के प्रशासनिक क्षेत्राधीन मगध रेलवे साइडिंग हेतु (अधिसूचित वन भूमि 71.17 हे0 एवं जंगल झाड़ी 33.11 हे0) कुल 104.28 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव संख्या– FP/JH/RAIL/47332/2020 परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन एवं ऑफलाईन समर्पित किया गया था। प्रस्ताव के संदर्भ में दिनांक 23.09.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। प्रस्ताव की समीक्षा एवं स्थल निरीक्षण के पश्चात् इस कार्यालय के पत्रांक 561 दिनांक 26.09.2024 द्वारा प्रस्ताव में पायी गयी त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल को दिया गया। उक्त निर्देश के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 1867 दिनांक 29.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रस्ताव की 07 (सात) भौतिक प्रतियाँ इस कार्यालय में मन्तव्य के साथ समर्पित किया है। विषयक वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संदर्भ में वस्तुस्थिति निम्नवत हैः–

(1) अपयोजन हेतु प्रस्तावित कुल वनभूमि 121.29 हे0 में से 104.28 हे0 लातेहार वन प्रमण्डल के अन्तर्गत तथा शेष भाग 17.01 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत अवस्थित है। लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित 104.28 हे0 वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र0स0	जिला का नाम	वन प्रमण्डल का नाम	वन भूमि की वैधानिक स्थिति			अच्छादित वन भूमि पर अवस्थित वन का वनस्पति का औसत घनत्व 0.4 है।
			अधिसूचित वन भूमि (हे0 में)	जंगल झाड़ भूमि (हे0 में)	कुल रकबा	
1	लातेहार	लातेहार वन प्रमण्डल	71.17	33.11	104.28	

(2) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधनोपरान्त विहित प्रपत्र Form A(part-1) में वांछित सूचनाएँ / अभियुक्तियाँ प्रविष्ट कर परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया गया है। साथ ही इसकी भौतिक प्रतियाँ इस प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(3) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा पृच्छा का निराकरण करते हुए निर्धारित विहित प्रपत्र II में सभी सूचनाएँ/अभियुक्तियाँ प्रविष्ट कर परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया गया है। साथ ही इसकी भौतिक प्रतियां इस प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(4) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा विषयक प्रस्ताव को स्थल निरीक्षणोपरान्त सशर्त अनुशंसित की गयी, जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र Part II में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुशंसित प्रतिवेदन कंडिका में प्रविष्ट है।

(5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वानुमति के बगैर वन भूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के **31.68** हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा **9.62** हे0 जंगल झाड़ी (Deemed Forest) में अधिनियम के उल्लंघन में कार्य किया गया है जिसका विस्तृत उल्लेख पार्ट–II की कंडिका 11 में तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी लातेहार वन प्रमण्डल के द्वारा किया गया है। उल्लंघन के विरूद्ध की गयी कार्रवाई की विवरणी भी पार्ट–II में अंकित है।

(6) निर्धारित Part III में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य अंकित है तथा उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अद्योहस्ताक्षरी वन प्रमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा एवं लगाई गयी शर्तो से सहमत है तथा कुछ अन्य शर्तें अधोहस्ताक्षरी के द्वारा भी लगाई गयी है। जिसका उल्लेख पार्ट–III के Recommendation Section में प्रविष्ट की गयी है।

(7) अधोहस्ताक्षरी द्वारा विहित प्रपत्र Part-III में अंकित Recommendtion पर संचिका के माध्यम से क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर (पत्रांक –1966 दिनांक–11.12.2024) द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

(8) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा संलग्न अभिलेखों की विवरणी निम्नवत है :–

(क) आवेदक श्री सदाला सत्यनारायण, Chief Manager (Mining) के पक्ष में महाप्रबंधक, मगध–संघमित्रा क्षेत्र के द्वारा Authorisation पत्र निर्गत है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(ख) टोपो शीट मानचित्र जिसमें परियोजना स्थल रेखांकित है, प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(ग) DGPS सर्वे के आधार पर परियोजना स्थल का Geo-referenced map प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(घ) राजस्व विभाग के मौजा मानचित्र, जिसमें परियोजना स्थल रेखांकित है, प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(ड) विषयक वनभूमि के अपयोजन का औचित्य से संबंधित अभिलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(च) प्रस्ताव में लातेहार वन प्रमण्डल के अर्न्तगत आच्छादित होन वाले वनभूमि पर अवस्थित पेड़ो की संख्या 16211 है।

(छ) विषयक प्रस्ताव में 33.11 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि सन्निहित है तथा भूमि राजस्व विभाग के नियत्रांधीन है, इसके संदर्भ में आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर के **पत्रांक 533 दिनांक 28.07.2021, पत्रांक 57 दिनांक 10.01.2023** शुद्धि पत्र **ज्ञापांक 681 दिनांक 18.10. 2023, 713 दिनांक 01.11.2023 (शुद्धि पत्र 755 दिनांक 10.11.2023)** द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(ज) विषयक प्रस्तव में आच्छादित होने वाले वनभूमि पर वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत और/या सामुदायिक दावा के संदर्भ में वचनवद्धता समर्पित की गयी है।

P.F-6

172

(झ) विषयक परियोजना में आच्छादित होने वाला वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी या राष्टीय उद्यान का भाग नही है।

(ञ) विषयक परियोजना स्थल किसी संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का हिस्सा नही है।

(ट) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Compensatory Afforestation, Net Present Value, Additional Net Present Value, Wildlife Management Plan इत्यादि हेतु देय राशि जमा करने के संदर्भ में वचनबद्धता समर्पित की गयी है।

(ठ) विषयक परियोजना हेतु चिन्हित Compensatory Afforestation वन भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

क्रमांक	जिला	वन प्रमण्डल का नाम	राजस्व थाना / थाना सख्या	मैजा (PF/RF) का नाम	रकबा (हे० में)
1	लातेहार	लातेहार वन प्रमण्डल	बालुमाथ / 135	सुकरी	74.21
2			बालुमाथ / 139	ललगड़ी	66.88
3			बालुमाथ / 100	बालु	67.47
				कुल–	208.56

उपरोक्त Compensatory Afforestation Land के लिए land Suitability Certificate,Estimated Cost of Compensatary Afforestation इत्यादि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

अतः विषयक परियोजना में लातेहार वन प्रमण्डल के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले कुल 104.28 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की 5 (पाँच) भौतिक प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु भवदीय को समर्पित की जा रही है।

अनु0यथोक्त।

विश्वासभाजन

Kumar 12/12/2024

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

12/12/24

171

—: कार्यालय :—

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।

Email –dfo-latehar@gov.in
Mobile No. – 8987790240
Pin Code - 829206

पत्रांक 1867 / लातेहार, दिनांक 29.11.2024 /

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

विषय :— मगध रेलवे साईडिंग अंतर्गत पड़ने वाले वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— आपका पत्रांक 561 दिनांक 26.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि सेन्ट्रल कोल फिल्ड लिमिटेड द्वारा मगध रेलवे साईडिंग हेतु कुल 121.29 हे0 (लातेहार वन प्रमण्डल –104.28 हे0 तथा चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल–17.01 हे0) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव में आपके द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत है :—

01. प्रस्ताव के साथ संलग्न ऑनलाईन पार्ट– II की कंडिका 11 (i) में निम्नवत प्रविष्टियाँ में संशोधन कर दी गयी है :—

   a) Details of violation (s) :- Rail embakment and road.
   b) Period of work done (year) :- 3
   c) Area of forest land involved in violation (in ha.) :- 41.30 ha (Notified Forest- 31.68 ha. & GMJJ- 9.62 ha)

02. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक 830 दिनांक 19.07.2021 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित भूमि विवरणी सत्यापित करते हुए हस्ताक्षरित प्रति Additional document के रूप में ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है।

03. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित Land use Plan, Manual Form-A Part-I, Online Form-A Part-I समर्पित किया गया है।

आपके द्वारा किये गये पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन मूल सात प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

29/11/24
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
लातेहार वन प्रमण्डल।
29/11/24

-: कार्यालय :-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।

Email –dfo-latehar@gov.in

Mobile No. – 8987790240

Pin Code - 829206

170

पत्रांक...1232......./लातेहार, दिनांक..16.08.2024./

सेवा मे,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

विषय :– मगध रेलवे साईडिंग अंतर्गत पड़ने वाले वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि सेन्ट्रल कोल फिल्ड लिमिटेड द्वारा मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु अधिसूचित वन भूमि 71.17 हे0, जंगल झाड़ी 33.11 हे0 कुल 104.28 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव के जाँचोपरांत प्रयोक्ता संस्थान द्वारा समर्पित प्रस्ताव के संबंध में मुख्य तथ्यात्मक सूचनाएँ निम्नवत है तथा इसके साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न है :–

01. Acknowledgement Slip
02. Authorisation Letter
03. Check List
04. Form-A, Part-I
05. Form-A, Part-II
06. Detail Note on the project
07. Totosheet & DGPS Map
08. Layout Plan
09. Statement showing the detail of forest area & GMJJ NOC.
10. Statement showing the detail of non forest area.
11. Undertaking by User Agency alternative suitable non-forest land.
12. Justification of the Project.
13. Certificate for minimum use of forest land.
14. Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation.
15. Undertaking by the User Agency to pay the Net Present Value (NPV) of the forest land.
16. Undertaking by the User Agency to pay the Additional Net Present Value (NPV) if any of the forest land.
17. Undertaking regarding FRA.
18. Species-wise girth class-wise tree enumeration list.

-: कार्यालय :-
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।
Email –dfo-latehar@gov.in
Mobile No. – 8987790240
Pin Code - 829206

169

19. Site Inspection report of the forest area, Recommendation of DFO Latehar and Flora & Fauna.
20. CA Land detail.
21. Detail scheme for compensatory afforestation.
22. Suitability Certificate of Forest Land.
23. Undertaking by User Agency NOC of the State Pollution Control Board.
24. Undertaking by User Agency of Catchment Area Treatment Plan.
25. Undertaking by User Agency of Cost Benefit Analysis.
26. Land Acquisition details for Magadh Railway Siding.
27. Certificated in Praptra-I and Praptra-II.
28. Alternate route analysis.
29. Undertaking regarding land details.
30. Undertaking for change in condition.
31. Justification for Modification of proposal.
32. Undertaking for Archaeological Structure.
33. Undertaking forEcological Sensitive Area.
34. Undertaking for Wild Life Management Plan.
35. Undertaking for Transportation Network.
36. Detailed project report of Magadh Railway Siding.
37. Village Map Cadastral Survey.
38. Village Map Revisional Survey.
39. CD.

प्रस्ताव की मूल सात प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि समर्पित प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

16/8

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।
16.8.2024

पेड़–पौधें मत करो नष्ट, साँस लेने में होगा कष्ट

कार्यालयः– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल चतरा।
वन भवन, चतरा– 825401 (झारखण्ड)
E-mail:-cf-chatra@gov.inPhone – 06541-253690

168

पत्रांक 670 दिनांक 30-11-2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
–सह–
कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– मे0 सी0सी0एल0 का मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु कुल–121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल 17.01 हे0 एवं लातेहार प्रमंडल 104.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 862 दिनांक 19.04.2024 एवं पत्रांक 2300 दिनांक 22.11.2024 द्वारा चतरा जिलान्तर्गत मे0 सी0सी0एल0 का मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु 17.01 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार के पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करने एवं हार्डकॉपी भवदीय को भेजने हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग से दिनांक 28.11.2024 को संचिका पर अनुमोदन प्राप्त है। विषयगत समर्पित प्रस्ताव की स्थिति निम्नवत् है :–

1. प्रस्ताव के साथ On-line Form-A (Part-I)की प्रति संलग्न है जिसमें अपयोजित होने वाली भूमि की विवरणी निम्नवत है– (पृष्ठ संख्या–214–221)

प्रमंडल का नाम	अधिसूचित एवं सीमांकित वनभूमि (हे0 में)	अधिसूचित परन्तु असीमांकित वनभूमि (हे0में)	गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि (हे0 में)	कुल रकवा (हे0 में)	गैर वनभूमि (हे0 में)
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल	17.01	0.00	0.00	17.01	0.00
लातेहार वन प्रमंडल	71.17	0.00	33.11	104.28	130.22

2. Authorization letter. (page no. 222-224)
3. Acknowledment slip. (page no. 225)
4. Manual form A Part-I (page no. 211-212)
5. List of Proposal submitted in past (Manual page no. 210)
6. Detailed note on the project. (page no. 206-209)
7. Statment showing the details of forest area involved in the proposal. (page no. 205)
8. Certificate that no alternative suitable non forest land.(page no. 204)
9. Justification for locating the project in forest area. (page no. 199-2023)
10. Certificate for minimun use of forest land. (page no. 194-198)
11. Undetaking for payment of cost of compensatory afforestation. (page no. 193)
12. Undertaking by the user Agency to pay the NPV and additional net present value of forest area. (page no. 192)
13. Undertaking to provide certificate under FRA, 2006. (page no. 189-191)

14. Undertaking for NOC of the state pollution control board. (page no. 188)
15. Undertaking for catchment area treatment plan. (page no. 187)
16. Cost benefit analysis. (page no. 182-186)
17. Authenticated land schedule of Magadh Railway Siding. (page no. 180-181)
18. Land acquisition details for Magadh Railway Siding. (page no. 151-179)
19. Alternate route analysis. (page no. 148-150)
20. Undertaking regarding land details. (page no. 147)
21. Undertaking for change in condition. (page no. 146)
22. Justification for modification of proposal. (page no. 145)
23. Undertaking for archaeological stucture. (page no. 144)
24. Undertaking for Ecological sensitive area. (page no. 143)
25. Undertaking for wild life management plan. (page no. 142)
26. Undertaking for providing equivalent non-forest land as CA land.(page no. 141)
27. Undertaking for Transportation network. (page no. 140)
28. Undertaking for providing equivalent non foret land as CA land. (page no. 139)
29. Detailed project report of Magadh Railway siding. (page no. 12-138)
30. CA land chatra part- cadastral map, DGPS map, Topo sheet. (page no. 8-11)
31. Map of the project site/forest area i.e. cadastral map, Topo sheet, DGPS map are attached. (page no. 3-7)
32. Lenght and width of Railway line passing through forest and non-forest area. (page no. 2)
33. Lay out plan of Project site. (page no. 1)
34. Estimate of Compensatory afforestation for 10 years form DFO Chatra South. (page no. 226-228)
35. Land suitability Certificate for CA. (page no. 229)
36. Site inspection report from DFO Chatra South. (page no. 230-232)
37. Violation in Magadh Railway Siding (Chatra Part). (page no. 233)
38. Recommendation note from DFO Chatra South. (page no. 234-235)
39. Manual form part-II from DFO Chatra South. (page no. 236-238)
40. Online form part-II from DFO Chatra South. (page no. 239-247)
41. CD-(KML, DGPS, Cadastral map, CA land and Magadh Railway siding).
42. अधोहस्ताक्षरी का Part III की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या–248
43. Approved Tree Enumeration List (Attaend Seperately)

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित प्रस्ताव की पॉच मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

आपका विश्वासी,

30.11.24

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल चतरा।

30/11/2024

कार्यालयः-- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा- 825401 (झारखण्ड)
E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in Phone - 8987790213

पत्रांक 862 दिनांक 19.04.2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

विषयः-- टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु कुल-121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल 17.01 हे0 एवं लातेहार प्रमंडल 104.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि परियोजना पदाधिकारी, मगध परियोजना, टण्डवा ने अपने पत्रांक 3542 दिनांक 23.01.2024 द्वारा चतरा जिलान्तर्गत मगध रेवले साईडिंग निर्माण हेतु 17.01 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव इस प्रमंडल में समर्पित किया है। समर्पित प्रस्ताव के सन्दर्भ में निम्न तथ्य प्रतिवेदित करना है।

1. प्रस्ताव के साथ On-line Form-A (Part-I) की प्रति संलग्न है जिसमें अपयोजित होने वाली भूमि की विवरणी निम्नवत है-- (पृष्ठ संख्या-213-221)

प्रमंडल का नाम	अधिसूचित एवं सीमांकित वनभूमि (हे0 में)	अधिसूचित परन्तु असीमांकित वनभूमि (हे0में)	गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि (हे0 में)	कुल रकबा (हे0 में)	गैर वनभूमि (हे0 में)
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल	17.01	--	--	17.01	--

2. Lay out plan of Project site. (page no. 1)
3. Lenght and width of Railway line passing through forest and non-forest area. (page no. 2)
4. Map of the project site/forest area i.e. cadastral map, Topo sheet, DGPS map are attached. (page no. 3-7)
5. CA land chatra part- cadastral map, DGPS map, Topo sheet. (page no. 8-11)
6. Detailed project report of Magadh Railway siding. (page no. 12-138)
7. Undertaking for CA land. (page no. 139)
8. Undertaking for Transportation network. (page no. 140)
9. Undertaking for providing equivalent non-forest land as CA land. (page no. 141)
10. Undertaking for wild life management plan. (page no. 142)
11. Undertaking for Ecological sensitive area. (page no. 143)
12. Undertaking for archaeological stucture. (page no. 144)
13. Justification for modification of proposal. (page no. 145)
14. Undertaking for change in condition. (page no. 146)
15. Undertaking regarding land details. (page no. 147)

16. Alternate route analysis. (page no. 148-150)
17. Land acquisition details for Magadh Railway Siding. (page no. 151-179)
18. Authenticated land schedule of Magadh Railway Siding. (page no. 180-181)
19. Cost benefit analysis. (page no. 182-186) .
20. Undertaking for catchment area treatment plan. (page no. 187)
21. Undertaking for NOC of the state pollution coutry board. (page no. 188)
22. Undertaking for FRA. (page no. 189-191)
23. Undertaking by the user Agency to pay the additional net present value of forest area. (page no. 192)
24. Undetaking for payment of cost of compensatory afforestation. (page no. 193)
25. Certificate for minimun use of forest land. (page no. 194-198)
26. Justification for locating the project in forest area. (page no. 199-2023)
27. Certificate that no alternative suitable non forest land. (page no. 204)
28. Statment showing the details of forest area involved in the proposal. (page no. 205)
29. Detailed note on the project. (page no. 206-209)
30. Status of previous application. (page no. 210)
31. Mannual form A. (page no. 211-212)
32. Authorization letter. (page no. 222-224)
33. Acknowledment slip. (page no. 225)
34. CD-(KML, DGPS, Cadastral map, CA land and Magadh Railway siding).
35. Tree Enumeration (Attaend Seperately) Annexture-A
36. Estimate of Compensatory afforestation for 10 years form DFO Chatra South. (page no. 226-228)
37. Land suitability Certificate for CA. (page no. 229)
38. Site inspection report form DFO Chatra South. (page no. 230-232)
39. Violation in Magadh Railway Siding (Chatra Part). (page no. 233)
40. Recommendation note from DFO Chatra South. (page no. 234-235)
41. Manual form part-II form DFO Chatra South. (page no. 236-238)
42. Online form part-II form DFO Chatra South. (page no. 239-247)

[illegible]

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।
19/04/2024